



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935

No. 482]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 562(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक हित में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के परचात् भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पैरा 7 के उपपैरा (2) में पहले परंतुक की मद (i) में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(i) अनुसूची की मद 8 (क) के सामने प्रवर्ग 'ख' के अधीन सूचीबद्ध सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप;" ।

[फा. सं. 21-270/2008-आई ए. III]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए:—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013; और
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013

840 GI/2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in paragraph 7, in subparagraph II, in item (i), in the first proviso, for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) all projects or activities listed under Category, 'B' against item 8(a) of the Schedule;" .

[F. No. 21-270/2008-IA.III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013; and
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013.